(Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)3-4/2022 dated 15-02, 2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh Department of Labour & Employment ****

Shram (A)3-4/2022 Dated: Shimla-171002, the 15th February, 2024

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 112 of Factories Act, 1948 (Act No. 63 of 1948), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Factories Rules, 1950 notified vide Industries Department notification number D-80-12/48-III, dated 06.05.1952 and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, for the information of general public, as required under section 115 of the said Act.

If any person likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) in respect of these rules, he may send the same to the Labour Commissioner-cum-Chief Inspector of Factories, First Floor, New Himrus Building, Shimla-1, within 45 days from the date of its publication in Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration before finalizing the said rules, namely:-

Short title and 1. commencement

- (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Factories (Amendment) Rules, 2024.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

Amendment of rule 5

2. In the Himachal Pradesh Factories Rules, 1950 (hereinafter referred to as the 'said rules'), for the Schedule prescribed in sub-rule (2) of rule 5, the following shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Fee for grant of licence for a factory for one year

Number of persons to be employed on any day during the year										
Quantity of Horse Power installed (Maximum Horse Power)	Up to 09	From 10 to 20	From 21 to 50	From 51 to 100	From 101 to 250	From 251 to 500	From 501 to 1000	From 1001 to 1500	From 1501 to 2000	Above 2000
Nil	730	1460	2190	2920	5840	8760	13140	17520	26280	35040
Upto 20	1460	2190	2920	5840	8760	13140	17520	26280	35040	46720
Exceeding 20 but not exceeding 50	2190	2920	5840	8760	13140	17520	26280	35040	46720	58400
Exceeding 50 but not exceeding 100	2920	5840	8760	13140	17520	26280	35040	46720	58400	73000
Exceeding 100 but not exceeding 250	-	8760	13140	17520	26280	35040	46720	58400	73000	81760
Exceeding 250 but not exceeding 500	-	13140	17520	26280	35040	46720	58400	73000	81760	93440
Exceeding 500 but not exceeding 1000	-	17520	26280	35040	46720	58400	73000	81760	93440	105120
Exceeding 1000 but not exceeding 1500	-	26280	35040	46720	58400	73000	81760	93440	105120	116800
Exceeding 1500 but not exceeding 2000	-	35040	46720	58400	73000	81760	93440	105120	116800	131400
Exceeding 2000 but not exceeding 3000	-	46720	58400	73000	81760	93440	105120	116800	131400	146000
Exceeding 3000 but not exceeding 5000	-	58400	73000	81760	93440	105120	116800	131400	146000	160600
Exceeding 5000 but not exceeding 7000	-	73000	81760	93440	105120	116800	131400	146000	160600	175200
Exceeding 7000 but not exceeding 10000	-	81760	93440	105120	116800	131400	146000	160600	175200	189800
Exceeding 10000 but not exceeding 15000	-	93440	105120	116800	131400	146000	160600	175200	189800	204400
Above 15000	-	105120	116800	131400	146000	160600	175200	189800	204400	219000

Amendment of rule 6

Amendment of rule 8

Amendment of rule 10

Insertion of rule 12-A

- 3. In sub-rule (4) of rule 6 of the said rules, for the words "Rupees One hundred" the words "Rupees Five Hundred" shall be substituted.
- **4.** In rule 8 of said rules, in sub-rule (3), for the words "one hundred" the words "five hundred" shall be substituted.
- 5. In rule 10 of said rules, for the words "one hundred" the words "five hundred" shall be substituted.

6. After rule 12 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"12-A (1) The Chief Inspector may recognize any person as a 'competent person' within such area and for such period as may be specified for the purposes of carrying out tests, examinations, inspections and certification for such buildings, dangerous machinery, hoists and lifts, lifting machines and lifting tackles, pressure plant, confined space, ventilation system and such other process or plant and equipment as stipulated in the Act and the rules made thereunder, located in a factory, if such a person possesses the qualifications, experience and other requirements as set out in the SCHEDULE annexed to this rule:

Provided that the Chief Inspector may relax the requirements of qualifications in respect of a competent person but concurrence of the State Government shall be taken and such a person after being so recognized, shall not have powers of an 'Inspector:

Provided further that the competent person recognized under this provision shall not be above the age of 62 years and shall be physically fit for the purpose of carrying out the tests, examination and inspection.

(1) The Chief Inspector may recognize an institution of repute, having persons possessing qualifications and experience as set out in the SCHEDULE annexed to

this rule for the purpose of carrying out tests, examinations, inspections and certification for buildings, dangerous machinery, hoists and lifts, lifting machines and lifting tackles, pressure plant, confined space, ventilation system and such other process or plant and equipment as stipulated in the Act and the rules made thereunder as a competent person within such area and for such period as may be specified.

- (3) The Chief Inspector on receipt of an application in the Form prescribed under the rule from a person or an institution intending to be recognized as a competent person for the purposes of this Act and the rules made thereunder, shall register such application and within a period of sixty days of the date of receipt of application, either after having satisfied himself as regards competence and facilities available at the disposal of the applicant recognize the applicant as a competent person and issue a certificate of competency in the Form prescribed under this rule or reject the application specifying the reasons thereof.
- (4) The Chief Inspector may, after giving an opportunity to the competent person of being heard, revoke the certificate of competency,-
 - (i) If he has reason to believe that a competent person,-
 - (a) has violated any condition stipulated in the certificate of competency; or
 - (b) has carried out a test, examination and inspection or has acted in a manner inconsistent with the intent or the purpose of this Act or the rules made thereunder; or has omitted to act as required under the Act and the rules made thereunder; or
 - (ii) for any other reason to be recorded in writing.

Explanation: For the purpose of this rule, an institution includes an organization.

- (5) The Chief Inspector may, for reasons to be recorded in writing, require re-certification of lifting machines, lifting tackles, pressure plant or ventilation system, as the case may be, which has been certified by a competent person outside the State.
- (6) Application for grant of certificate of competency shall be accompanied by a non-refundable fee of ₹ 25,000 (Rupees Twenty Five Thousand) and a security amount (without interest) of ₹ 1,00,000/-(Rupees One Lakh) which shall be deposited in Major Head 0230-00-104-01 through HIMKOSH.
- (7) Application for renewal of Certificate of Competency shall be accompanied by a non-refundable fee of ₹ 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand) which shall be deposited in the Major Head 0230-00-104-01 through HIMKOSH

Form of application for grant of Certificate of Competency to a person under sub-rule (I) of rule 12A.

- 1. Name
- 2. Date of Birth
- 3. Name of the Organisation (if not self-employed)
- 4. Designation
- 5. Educational qualification (copies of testimonials to be attached)
- 6. Details of professional experience (in chronological order)

Name of the Organization Period of Service Designation Area of Responsibility

- 7. Membership, if any, of professional bodies
- 8. (i) Details of facilities (examination, testing, etc.) at his disposal.
 - (ii) Arrangements for calibrating and maintaining the accuracy of these facilities.
- Purpose for which Competency Certificate is sought (section or sections of the Act should be stated).
- Whether the applicant has been declared as a competent person under any statute (if so, the details)
- 11. Any other relevant information.
- 12. Declaration by the applicant.
- I,, hereby declare that the information furnished above is true. I undertake:-
- (a) to maintain the facilities in good working order, calibrated periodically as per manufacturers instructions or as per National Standards; and
- (b) to fulfill and abide by all the conditions stipulated in the certificate of competency and instructions issued by the Chief Inspector from time to time.

Place &

Date Signature of the applicant:

Declaration by the Institution (if employed)

- I, whose details are furnished above, is in our employment and nominate him on behalf of the organisation for the purposes of being declared as a competent person under the Act. I also undertake that I will.-
- (a) notify the Chief Inspector in case the competent person leaves our employment;
- (b) provide and maintain in good order all facilities at his disposal as mentioned above;
- (c) notify the Chief Inspector any change in the facilities (either addition or deletion)

Signature

Designation

Telephone No.

Official Seal

Date:

Form of Application for grant of Certificate of Competency to an Institution under sub-rule (2) of Rule 12A.

- 1. Name and full address of the Organisation
- 2. Organisation's status (specify whether Government, Autonomous, Co-operative, Corporate or Private)
- 3. Purpose for which Competency Certificate is sought (specify section(s) of the Act)
- 4. Whether the Organisation has been declared as a competent person under this or any other statute. If so, give details.
- 5. Particulars of persons employed and possessing qualification and experience as set out in Schedule annexed to rule 12A.
- 6. Details of facilities and arrangements made for their maintenance and arrangements made for their maintenance and periodic calibration.
- 7. Any other relevant information.

\sim	-	
v	1 100	laration:
(1)	1 / 5	iataiioit.

- (i) maintain the facilities in good working order, calibrated periodically as per manufacturers instructions or as per National Standards; and
- (ii) to fulfill and abide by all the conditions stipulated in the certificate of competency and instructions issued by the Chief Inspector from time to time.

Signature of Head of the Institution or of the person authorised to sign on his behalf.

Designation

Place & Date

Form of Certificate of Competency issued to a person or an institution in pursuance of rule 12(A).

I,, Chief Inspector of Factories, Himachal
Pradesh, Shimla, in exercise of the powers conferred on
me under section 2(ca) of the Factories Act, 1948 and
rules made thereunder hereby recognize
to be competent person
for the purpose of carrying out tests, examinations,
inspections and certifications of equipments under
which are used in a factory located in
Himachal Pradesh under sections and rules mentioned
below against competent person:-

Name & Address of	Section/rules
competent person/	
institution	

This certificate is valid upto or the date, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 and rules made thereunder, shall come into force, whichever is earlier.

This certificate is issued subject to the conditions stipulated hereunder.

- 1. Tests, examinations and inspections shall be carried out in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder, and record of tests shall be maintained in a register
- 2. Tests, examination and inspection shall be carried out under direct supervision of the competent person and the date of test examination be informed to the Inspector i.e. Deputy Director Factories/ Assistant Director Factories under whose jurisdiction factory is located well in advance. Any testing without prior intimation as stated above shall not be accepted.
- 3. The competent person shall procure all necessary equipments/facilities and maintain the same in good working order and inform to the Inspector i.e. Deputy Director Factories/ Assistant Director

- Factories under whose jurisdiction factory is located about the equipment used in testing work.
- 4. Where maximum permissible working pressure is reduced or the examination shows that the pressure vessels or plant or any part thereof, cannot continue to be used safely unless certain repairs are carried out or unless any other safety measures are required to be taken the report shall be sent to concerned Inspector i.e. Deputy Director Factories/ Assistant Director Factories and copy of the same shall also be sent to the undersigned within 7 days of completion of the examination.
- 5. The Institution recognized as competent person shall keep the undersigned informed about the name of the competent person who leave the organization. The certificate of competency issued shall stand cancelled if all of above named person(s) leave the organization.
- 6. Monthly return shall be submitted covering names of Factories, list of equipments/vessels tested, date of test, number and date of certificate issued, working pressure or safe load allowed and special remarks if any by the 10th of every month.
- 7. The Chief Inspector of Factories reserves the rights to revoke or amend this order at any time during its validity.
- 8. The competent person shall take photographs and make recordings during the course of Tests, examinations and inspections and make it readily available as and when demanded by Chief Inspector of Factories.

Application for renewal of competency certificate may be made at least one month before the expiry of this certificate

> Chief Inspector of Factories Shimla-1, Himachal Pradesh

SCHEDULE

Sr. No.	Section or Rules under which competency is recognized	Qualification required	Experience for the purpose	Facilities at his command
1.	2.	3.	4.	5.
1	Rules made under Section 6 and Section 112 — Certificate of stability for buildings	Rules made under Section 6 and Section 112 — Certificate of stability for		Cuacca
2	Rules made under Section 21(2) – "Dangerous Machines"	Degree in Electrical or Mechanical or Textile Engineering or equivalent.	(i) a minimum of 7 years experience in- a) design or operation or maintenance; or b) testing, examination and inspection of relevant machinery, their guards, safety devices	Guages for measurement; instruments for measurement of speed and any other equipment or device to determine the safety in the use of the dangerous

			and	machines.
			appliances.	
			(ii) he shall –	
			a) be conversant	
			with safety	
			devices and	
			their proper	
			functioning;	
			b) be able to	
			identify	
			defects and	
			any other cause loading	
			to failure;	
			and) have	
			ability to	
			arrive at a	
			reliable	
			conclusion	
			with regard to	
			the proper	
			functioning of	
			safety device	
			and appliance and machine	
			guard.	
			(i) A minimum	
			experience of 7	
			years in-	
			(a) design or	
			erection or	
			maintenance;	Facilities for
			or	load testing,
			(b) inspection	
			and test	<i>C</i> ,
			procedures of lifts and	0 0
		A degree in		equipment/ gadgets for
	Section 28 -	Electrical and	(ii) He shall be –	measurement
3	Hoists and	or Mechanical	(a) Conversant	
	Lifts	Engineering or	with relevant	•
		the equivalent	codes of	required for
		_	practices and	determining
			test procedures	the safe
			that are current;	working
			(b) Conversant	
			with other	Hoists and Lifts.
			statutory requirements	LIIIS.
			conversing the	
			safety of the	
			Hoists and	
			Lifts;	

4	Section 29 – Lifting Machinery and Lifting Tackles	Degree in Mechanical or Electrical or Metallurgical Engineering or its equivalent	(c) able to identify defects and arrive at a reliable conclusion with regard to the safety of Hoists and Lifts. (i) A minimum experience of 7 years in- (a) design or erection or maintenance; or (b) testing, examination and inspection, of lifting machinery, chains, ropes and lifting tackles. (ii) He shall be – (a) Conversant with the relevant codes of practices and test procedures that are current; (b) Conversant with fracture mechanics and metallurgy of the material of construction; (c) Conversant with heat treatment/ stress relieving techniques as applicable to stress bearing components and parts of lifting machinery and lifting tackles; (d) capable of identifying	load testing, tensile testing, heat treatment, equipment/ gadget for measurement, gauges and such other equipment to determine the safe working conditions of the lifting machinery
			lifting machinery and lifting tackles;	

			regard to the	
			safety of lifting machinery,	
			chains, ropes,	
			and lifting	
			tackles.	
			(i) A minimum	
			experience of 10 years in-	
			(a) design or	
			erection or	
			maintenance, or	
			(b) testing,	
			examination	
			and inspection	
			of pressure plants.	
			(ii) He shall be—	
			(a) Conversant	
			with the	
			relevant codes	
			of practices and	Facilities for
			test procedures relating to	carrying out hydraulic
			relating to pressure	test, non-
			vessels;	destructive
		Degree in Chemical or	(b) Conversant	test, gauges
		Chemical or Electrical or	with statutory	equipment/
5	Section 31 –	Metallurgical or	requirements	gadgets for
	'Pressure Plant	Mechanical	concerning the safety of	measurement and any other
		Engineering or	unfired pressure	equipment or
		its equivalent.	vessels and	gauges to
			equipment	determine the
			operating under	*
			pressure;	of pressure
			(c) Conversant with non-	vessels.
			destructive	
			testing	
			techniques as	
			are applicable	
			to pressure	
			vessels; (d) able to	
			identify defects	
			and arrive at a	
			reliable	
			conclusion with	
			regard to the	
			safety of	
			pressure plants.	

6	(i) Section 36 —Precautions against dangerous fumes(ii) Rules made under sections 41 and 112 concerning ship-building and ship repairs, Handling and processing of asbestos, Manufacture of Rayon by viscose process, Foundry operations.	Masters degree in Chemistry, or a degree in Chemical Engineering.	(i) a minimum of 7 years in collection and analysis of environmental samples and calibration of monitoring equipment; (ii) He shall – (a) be conversant with the hazardous properties of chemicals and their permissible limit values; (b) be conversant with the current techniques of sampling and analysis of the environmental contaminants; and (c) be able to arrive at a reliable conclusion as regards the safety in respect of entering and carrying out hot work.	Meters, instruments and devices duly calibrated and certified for carrying out the tests and certification of safety in working in confined spaces.
7	Ventilation systems as required under various Schedules framed under section 87, such as Schedules on Grinding or glazing or metals and processes and incidental thereto, Cleaning or	Degree in Mechanical or Electrical Engineering or equivalent.	(i) A minimum of 7 years in the design, fabrication, installation, testing of ventilation system and systems used for extraction and collection of dusts, fumes and vapours and other ancillary equipment. (ii) He shall be	testing the ventilation system, instruments and gauges for testing the effectiveness of the extraction systems for dusts, vapours and fumes, and any other

smoothing,	conversant with	needed for
roughening,	relevant codes	determining
etc. of articles,	of practice and	the efficiency
by a jet sand,	tests procedures	
metal shot, or	that are current	of these
grit, or other	in respect of	
abrasive	ventilation and	shall have the
propelled by a	a traction	assistance of
blast of	system for	a suitable
compressed air	fumes, and	
of steam.	shall be able to	technical
	arrive at a	person who
	reliable	can come to a
	conclusion with	reasonable
	regard to	
	effectiveness of	to the
	the system.	adequacy of
		the system.

By order,

Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार श्रम एवं रोजगार विभाग

संख्या श्रम (ए) 3-4/2022 तारीख

शिमला—171002,

15 फरवरी. 2024

प्रारुप अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 63) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या डी–80–12 / 48–III, तारीख 06–05–1952 को अधिसूचित और प्रकाशित हिमाचल प्रदेश कारखाना नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 115 के अधीन यथा अपेक्षित जन साधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन प्रारुप नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के यदि इन नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं, तो वह/ वे उन्हें उक्त प्रारुप नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पैंतालिस दिन की अवधि के भीतर श्रम आयुक्त-एंव-मुख्य कारखाना निरीक्षक, प्रथम तल, न्यू हिमरस भवन, शिमला-1 को भेज सकेगा/ सकेंगे।

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो / हों पर उक्त नियमों को अंतिम रुप देने से पूर्व विचार में किया जाएगा, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कारखाना (संशोधन) नियम, 2024 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. नियम 5 का संशोधन.— हिमाचल प्रदेश कारखाना नियम, 1950 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 5 के उप नियम (2) में विहित उनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

अनुसूची कारखाने के लिए एक वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु शुल्क

वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या										
स्थापित हॉर्स पावर की मात्रा (अधिकतम हॉर्स पावर)	09 तक	10 से 20 तक	21 से 50 तक	51 से 100 तक	101 से 250 तक	251 से 500 तक	501 से 1000 तक	1001 से 1500 तक	1501 से 2000 तक	2000 से ऊपर
शुन्य	730	1460	2190	2920	5840	8760	13140	17520	26280	35040
20 तक	1460	2190	2920	5840	8760	13140	17520	26280	35040	46720
20 से अधिक परंतु 50 से अधिक नहीं	2190	2920	5840	8760	13140	17520	26280	35040	46720	58400
50 अधिक परंतु 100 से अधिक नहीं	2920	5840	8760	13140	17520	26280	35040	46720	58400	73000
100 से अधिक परंतु 250 से अधिक नहीं	-	8760	13140	17520	26280	35040	46720	58400	73000	81760
250 अधिक परंतु 500 से अधिक नहीं	-	13140	17520	26280	35040	46720	58400	73000	81760	93440
500 से अधिक परंतु 1000 से अधिक नहीं	-	17520	26280	35040	46720	58400	73000	81760	93440	105120
1000 से अधिक परंतु 1500 से अधिक नहीं	-	26280	35040	46720	58400	73000	81760	93440	105120	116800
1500 से अधिक परंतु 2000 से अधिक नहीं	-	35040	46720	58400	73000	81760	93440	105120	116800	131400
2000 से अधिक परंतु 3000 से अधिक नहीं	-	46720	58400	73000	81760	93440	105120	116800	131400	146000
3000 से अधिक परंतु 5000 से अधिक नहीं	-	58400	73000	81760	93440	105120	116800	131400	146000	160600
5000 से अधिक परंतु 7000 से अधिक नहीं	-	73000	81760	93440	105120	116800	131400	146000	160600	175200
7000 से अधिक परंतु 10,000 से अधिक नहीं	-	81760	93440	105120	116800	131400	146000	160600	175200	189800
10,000 से अधिक परंतु 15,000 से अधिक नहीं	-	93440	105120	116800	131400	146000	160600	175200	189800	204400
15,000 से अधिक	-	105120	116800	131400	146000	160600	175200	189800	204400	219000

नियम 6 का संशोधन	3	उक्त नियमों के नियम 6 के उप नियम (4) में ''एक सौ''
		शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ'' शब्द रखे जाएंगे।
नियम ८ का संशोधन	4	उक्त नियमों के नियम 8 के उप नियम (3) में, ''एक सौ''
		शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ'' शब्द रखे जाऐंगे।
नियम 10 का संशोधन	5	उक्त नियमों के नियम 10 में, ''एक सौ'' शब्दों के स्थान पर
		''पांच सौ'' शब्द रखे जाऐंगे।
नियम 12 क का अन्तःस्थापन.—	6	उक्त नियमों के नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित नियम
		अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात.–

"12 क.— (1) मुख्य निरीक्षक किसी व्यक्ति को ऐसे क्षेत्र में और ऐसी अवधि, जैसी ऐसे भवनों, खतरनाक मशीनरी, उत्तोलक और लिफ्ट, लिफ्टिंग मशीन और लिफ्टिंग टैकल, प्रैशर प्लांट, सिमित स्थान, वातानुकुलन प्रणाली और कारखाना में अवस्थित ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयत्र और उपस्कर (उपकरण) जैसे अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों में विहित है, हेतु परीक्षण, परीक्षा (जांच), निरीक्षण और प्रमाणन कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट की जाए, 'सक्षम व्यक्ति' के रुप में मान्यता दे सकेगा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति इस नियम से संलग्न अनुसूचि में यथा निर्धारित अर्हताएं, अनुभव और अन्य अपेक्षाएं रखता हो;

परन्तु मुख्य निरीक्षक 'सक्षम व्यक्ति' के संबंध में अर्हताओं की अपेक्षाओं में छूट दे सकेगा, किंतु राज्य सरकार की सहमति ली जाएगी और ऐसे व्यक्ति के पास इस प्रकार मान्यता प्राप्त होने के पश्चात्, निरीक्षक की शक्तियां नहीं होगी;

परंतु यह और कि इस उपबंध के अधीन मान्यता प्राप्त 'सक्षम व्यक्ति' की आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होगी और वह परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु शारीरिक रुप से स्वस्थ होगा।

(2) मुख्य निरीक्षक किसी प्रतिष्ठित संस्थान को इस नियम से संलग्न अनुससूची में यथा निर्धारित अर्हताओं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को ऐसे भवनों खतरनाक मशीनरी, उत्तोलक और लिफ्ट, लिफ्टिंग मशीन और लिफ्टिंग टैकल, प्रैशर प्लांट, सिमित स्थान, वातानुकुलन प्रणाली तथा अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों में यथानिर्धारित विहित ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयत्र और उपकरण (उपस्कर) हेतु परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु ऐसे क्षेत्र में और ऐसी अवधि, जैसी विहित की जाए, के लिए सक्षम व्यक्ति के रुप में मान्यता प्रदान कर सकेगा।

- (3) मुख्य निरीक्षक, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजन के लिए 'सक्षम व्यक्ति' के रुप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आशियत किसी व्यक्ति या किसी संस्था से इस नियम के अधीन विहित प्ररुप में आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे आवेदन को रिजस्ट्रीकृत करेगा और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अविध के भीतर या तो आवेदक की क्षमता और उपलब्ध प्रसुविधाओं के संबंध में स्वंय का समाधान होने के पश्चात् आवेदक को एक 'सक्षम व्यक्ति' के रुप में मान्यता देगा और इस नियम के अधीन विहित प्ररुप में 'सक्षमता प्रमाण पत्र' जारी करेगा या कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन को अस्वीकार करेगा।
- (4) मुख्य निरीक्षक, सक्षम व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सक्षमता का प्रमाण—मत्र प्रतिसंहत कर सकेगा,—
- (i) यदि उसके विश्वास का यह कारण है कि सक्षम व्यक्ति ने,—
- (क) 'सक्षमता प्रमाणपत्र' में विहित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है; या
- (ख) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजन के लिए कोई, परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण कार्यान्वित किया है या ऐसे आशय से असंगत किसी रीति से कार्य किया है अथवा इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन यथा अपेक्षित किसी कार्य का लोप किया है; या
- (ii) लिखित में अभिलिखित किए जाने के किसी अन्य कारण के लिए।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजन के लिए, संस्था के अन्तर्गत संगठन भी है।

- (5) मुख्य निरीक्षक, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, यथास्थिति, लिफ्टिंग मशीनों, लिफ्टिंग टैकल, प्रैशर प्लांट या वातानुकुलन प्रणाली के पुनः प्रमाणीकरण, जिसे राज्य के बाहर किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया गया है की अपेक्षा कर सकेगा।
- (6) सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन, रु० 25000/— (पच्चीस हजार रुपये) की अप्रतिदेय फीस और रु० 100,000/— (एक लाख रुपये) की ब्याज रहित प्रतिदेय प्रतिभूति रकम के साथ किया जाएगा, जिसे **हिमकोष के माध्यम से मुख्य शीर्ष 0230—00—104—01** में जमा किया जाएगा।
- (7) सक्षमता प्रमाण—पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन रु० 25000/— (पच्चीस हजार रुपये) की अप्रतिदेय फीस के साथ किया जाएगा, जिसे **हिमकोष के माध्यम से मुख्य शीर्ष** 0230—00—104—01 में जमा किया जाएगा।

नियम 12 (अ) के उप—िनयम (1) के अधीन किसी व्यक्ति को सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र का प्ररुप

- 1 नाम
- 2 जन्म तिथि
- 3 संगठन का नाम (यदि, स्वनियोजित न हो)
- 4 पदनाम
- 5 शैक्षणिक अर्हता (शंसापत्र की प्रतियां संलग्न की जाएं)
- 6 व्यावसायिक (वृत्तिक) अनुभव के ब्यौरे (कालानुक्रमिक क्रम में)

संगठन का नाम	सेवा की अवधि	पदनाम	(कर्तव्य का क्षेत्र)
			,

- 7 व्यावसायिक निकायों की सदस्यता, यदि कोई हो।
- 8 (i) उसके निपटान में प्रसुविधाओं (परीक्षा, परीक्षण आदि) का विवरण।
 - (ii) इन प्रसुविधाओं की सटीकता का अंशशोधन करने और अनुरक्षण करने की व्यवस्था करना।
- 9 प्रयोजन जिसके लिए सक्षमता प्रमाणपत्र मांगा गया है (अधिनियम की धारा या धाराओं का उल्लेख किया जाए)।
- 10 क्या आवेदक को किसी परिनियम (स्टेट्यूट) के अधीन सक्षम व्यक्ति के रुप में घोषित किया गया है (यदि ऐसा हो तो ब्यौरे)।
- 11 कोई अन्य सुसंगत सूचना।
- 12 आवेदक द्वारा घोषणा।

हूँ कि,-

- मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सत्य है। मैं वचन देता हूँ :--
- (क) विनिर्माता के निर्देशों के अनुसार या राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रसुविधाओं को सही हालात में (सुव्यवस्थित कार्यचालन) में अनुरक्षित करना, एवं कालिकतः अंशशोधन करना, और
- (ख) सक्षमता प्रमाण पत्र में विहित समस्त शर्तों का अनुपालन करना और मुख्य निरीक्षक द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों को पूर्ण करना।

स्थान		आवेदक के हस्ताक्षर	
तारीख	ारा घोषणा (यदि नियोजित / कार्यरत हो)		
में,	प्रमाणित करता हूँ	कि श्री	जिनका
विवरण	ऊपर दिया गया है, हमारे नियोजन में है और उसे	अधिनियम के अधीन एक	र सक्षम व्यक्ति घोषित
किए ज	ने के प्रयोजन हेतु संगठन की ओर से इस पद पर	र नामनिर्दिष्ट करता हूँ।	मैं यह भी वचन देता

(क) यदि सक्षम व्यक्ति हमारा नियोजन छोड़ देता है तो मुख्य निरीक्षक को सूचित करना;

(ख)	उसके निपटान पर उपरोक्त यथावर्णित समस्त प्रसुविधाएं प्रदान करना और सुव्यवस्था बनाए
	रखना;
(ग)	प्रसुविधाओं में कोई परिवर्तन (बढ़ाना या हटा दिया जाना) मुख्य निरीक्षक को सूचित करना।
	हस्ताक्षर
	पदनाम
	दुरभाष संख्या
	प्राधिकारिक मोहर
	तारीखः
नियम	ा 12—अ के उप—नियम (2) के अधीन किसी संस्थान को सक्षमता प्रमाण—पत्र प्रदान करने के लिए
आवेद	रन पत्र।
1	संगठन का नाम और पूरा पता
2	संगठन की हैसियत (निर्दिष्ट करें कि क्या सरकारी, स्वायत्त, सहकारी, निगमित या निजी है)
3	प्रयोजन जिसके लिए सक्षमता प्रमाण–पत्र मांगा गया है (अधिनियम की धाराएं निर्दिष्ट करें)
4	क्या संगठन को इस या किसी अन्य विधि के अधीन सक्षम व्यक्ति घोषित किया गया है। यदि हां
	तो विवरण दें।
5	नियम 12 अ से संलग्न अनुसूची में दिए गए के अनुसार नियोजित और अर्हता रखने वाले व्यक्तियो
	की विशिष्टियां।
6	उनके अनुरक्षण के लिए की गई व्यवस्थाओं का विवरण और उनके अनुरक्षण और कालिकत
	अशांकन के लिए की गई व्यवस्थाएं।
7	कोई अन्य सुसंगत सूचना।
8	घोषणा:—
	मैं एतदद्वारा की ओर से प्रणाणित करता हूँ कि
	उपरोक्त दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

(i) निर्माता के निर्देशों या राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रसुविधाओं की सही हालत में सुव्यवस्थित

(ii) सक्षमता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों और मुख्य निरीक्षक द्वारा समय–समय पर जारी

नियम 12 (अ) के अनुसरण में किसी व्यक्ति या संस्था को जारी सक्षमता प्रमाण-पत्र का प्रारूप

संस्थान के प्रमुख या इस निमित

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर।

पदनाम.....

कार्यचालन अनुरक्षित करने और कालिकतः अंशाकन करने; और

शर्तों को पूर्ण करने और अनुपालना करने का वचन देता हूँ।

स्थान और तारीख

मै.—

मैं मुख्य कारखाना निरीक्षक, हिमाचल प्रदेश, शिमला कारखाना अधिनियम, 1948				
की धारा 2 (ग क) और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए				
को एतद्द्वारा के अधीन उपकरणों जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित				
कारखाने में प्रयोग किए जा रहे हैं की जांच, परीक्ष	ण, निरीक्षण और प्रमाणन कार्यान्वित करने के			
प्रयोजन के लिए सक्षम व्यक्ति के नाम के समाने द	र्शाई गई धाराओं और नियमों के अधीन सक्षम			
व्यक्ति होने की मान्यता देता हूँ:				
सक्षम व्यक्ति/ संस्थान का नाम और पता	धारा / नियम			

यह प्रमाण पत्र तक या उस तारीख जिसको व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 और तद्धीन बनाए गए नियम प्रवृत्त होंगे, जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य है। यह प्रमाणत्र उसके नीचे नियत शर्तों के अध्यधीन जारी किया गया है।

- 1. जाँच, परीक्षण और निरीक्षण इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किए जाएंगे और परीक्षणों का अभिलेख रजिस्टर में अनुरक्षित किया जाएगा।
- 2. जाँच, परीक्षण और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन किए जाएंगे और निरीक्षक अर्थात् उप निदेशक कारखाना / सहायक निदेशक कारखाना, जिसकी अधिकारिता में कारखाना अवस्थित है, को जाँच / परीक्षण की तारीख अग्रिम रूप से सूचित की जाएगी। उपकिथित पूर्व सूचना के बिना कोई भी परीक्षण स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- 3. सक्षम व्यक्ति सभी आवश्यक उपकरणों / सुविधाओं को उपाप्त करेगा और इसको सही हालत में (सुव्यवस्थित कार्य चालन) अनुरक्षित करेगा और निरीक्षक अर्थात् उप निदेशक कारखाना / सहायक निदेशक कारखाना, जिसकी अधिकारिता में कारखाना अवस्थित है, को परीक्षण कार्य में उपयोग किए गए उपकरणों के बारे में सूचित करेगा ।
- 4. जहाँ अधिकतम अनुज्ञात कार्यचालन दबाब क्षीण हो गया है या परीक्षा से दर्शित होता है कि दबाब पात्र या स्यंत्र या इसका कोई भाग, जब तक कितपय मरम्मत नहीं की जाती अथवा जब तक कोई अन्य सुरक्षा उपाय अपेक्षित नहीं किए जाते, तब तक उसका उपयोग सुरक्षित रूप से जारी नहीं रख सकते। इसकी रिपोर्ट सम्बद्घ निरीक्षक अर्थात् उप निदेशक कारखाना/ सहायक निदेशक कारखाना को भेजी जाएगी और इसकी एक प्रति परीक्षा पूर्ण होने के सात दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी को भी भेजी जाएगी।

- 5. सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था, संगठन छोड़ने वाले सक्षम व्यक्ति के नाम के बारे में अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेगी। यदि उपर्नामित समस्त व्यक्ति संगठत को छोड़ देते हैं तो जारी किया गया सक्षमता प्रमाण-पत्र रद्व हुआ समझा जाएगा।
- 6. हर महीने की 10 तारीख तक कारखानों के नामों, परीक्षण किए गए उपकरणों / पात्रों की सूची, परीक्षण की तारीख, जारी किए गए प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख, कार्यचालन दबाव या अनुज्ञात सुरिक्षत भार और विशेष टिप्पणियां, यदि कोई हो, को सिम्मिलित करते हुए मासिक विवरणी प्रस्तुत की जाएगी।
- 7. मुख्य कारखाना निरीक्षक के पास इस आदेश को इसकी वैधता के दौरान किसी भी समय प्रतिसंहत करने या संशोधन करने के अधिकार सुरक्षित होंगे।
- 8. परीक्षणों, परीक्षाओं और निरीक्षणों के दौरान सक्षम व्यक्ति फोटोग्राफ लेगा और रिकार्डिंग करेगा और मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा जब मांगा जाए तो इसको सहजता से उपलब्ध करवाएगा।

सक्षमता प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन इस प्रमाण पत्र के अवसान से कम से कम एक मास पूर्व किया जाएगा।

> मुख्य कारखाना निरीक्षक हिमाचल प्रदेश शिमला–1

अनुसूची

कम	धारा या नियम जिसके	अपेक्षित अर्हता	प्रयोजन के लिए अनुभव	प्रसुविधाएं जो उसके
संख्या	अधीन सक्षमता को		, and the second	नियंत्रण में है।
	मान्यता दी गई			
1.	धारा ६ और धारा 112	सिविल या	(i) संरचनाओं के निर्माण के	
	के अधीन बनाए गए	संरचनात्मक	डिजाइन या परीक्षण या	
	नियम – भवनों हेतु	इंजीनियरिंग में	मरम्मत में न्युनतम 10 वर्ष	
	स्थिरता प्रमाण-पत्र	उपाधि या उसके	का अनुभव;	
		समकक्ष।	(ii)गैर—विनाशकरी परीक्षण,	
			विभिन्न व्यवहार संहिताएं,	
			जो प्रचलित / विद्यमान हैं,	
			और भवन की स्थिरता पर	
			कंपन और प्राकृतिक	
			शक्तियों के प्रभाव का	
			ज्ञान; और	
			(iii) संरचना या भवन की	
			सुरक्षा के संबंध में	
			विश्वसनीय निष्कर्ष पर	
		\0	पहुँचने की क्षमता।	, ,
2.	धारा 21(2) के अधीन		(i) (क) डिजाइन या संचालन	माप के लिए गेज
	बनाए गए नियम	मैकेनिकल या	या अनुरक्षण या	गति मापने हेतु
	''खतरनाक मशीनें''	कपड़ा (टेक्स	(ख) सुसंगत मशीनरी के	उपकरण और
		टाईल)	उपकरणों की परीक्षा,	खतरनाक मशीनों के
		इंजीनियरिंग में		
		उपाधि या उसके	कम से कम 7(सात) वर्ष	-
		समकक्ष ।	का अनुभव—	अपेक्षित कोई अन्य
			(ii) वह.—	उपकरण।
			(क) सुरक्षा उपकरणों और उनकी समुचित कार्यप्रणाली	
			से अवश्य अवगत हो :	
			(ख) त्रुटियों की और लोडिंग	
			के विफल रहने के किसी	
			अन्य कारण की पहचान	
			करने में सक्षम हों और	
			मशीन सुरक्षा, सुरक्षा	
			उपकरण तथा उपस्कर के	
			उचित कार्यपालन के संबंध	
			में विश्वसनीय निष्कर्ष पर	
			पहुंचने की क्षमता रखता	
			हो।	
3	धारा 28 – उत्तोलक	इलेक्ट्रिकल और/	(i) (क) डिजाइन या निर्माण	लोड परीक्षण, तनाव
	और लिफ्ट	या मैकेनिकल	या रखरखाव; (अनुरक्षण)	परीक्षण माप के लिए
	1		, , , , ,	,

		2707-77	
	इंजीनियरिंग में	अथवा	तन्यता परीक्षण गेज
	उपाधि या समकक्ष।	(ख) लिफ्टों और उत्तोलकों	,
		की निरीक्षण और परीक्षण	
		प्रकियाओं में कम से कम	की सुरक्षित कार्यदशा
		७ वर्ष का अनुभव	को निर्धारित करने
		(ii) (क) वह—	हेतु अपेक्षित किसी भी
		सुसंगत व्यवस्था सहिंताओं	अन्य उपकपण हेतु
		और परीक्षण प्रक्रियाओं, जो	प्रसुविधाएं ।
		प्रचलित हैं से परिचित हों;	
		(ख) उत्तोलक और लिफ्टों	
		की सुरक्षा से संबधित अन्य	
		वैधानिक अपेक्षाओं से	
		अवगत हो;	
		(ग) त्रुटिओं की पहचान करने	
		और उत्तोलक और लिफ्टों	
		की सुरक्षा के संबंध में	
		विश्वसनीय निष्कर्ष पर	
		पहुंचने में सक्षम हो।	
4 धारा 29 लिपिटंग	मैकेनिकल या		माप, गेज के लिए
मशीन और लिपिटंग	3 0	(i) (क) डिजाइन या निर्माण	लोड परीक्षण, तनाव
टैकल	1	या रखरखाव (अनुरक्षण), या;	
COM	धातु विज्ञान	(ख) लिपिटंग मशीनरी,	परीक्षण, उष्ण
	(मेटलर्जिकल)	जंजीरों, रस्सियों और	उपचार/ गैजट के
	इंजीनियरिंग में		लिए और लिफिटंग
	उपाधि या	परीक्षा, परीक्षण और	मशीनरी टैकल की
	इसके समकक्ष।	निरीक्षण मे कम से कम	सुरक्षित कार्यस्थिति
		(न्युनतम) ७ वर्ष का	को निर्धारित करने
		अनुभव।	हेतु ऐसे अन्य
		(ii) वह.—	उपस्करों की
		(क)सुसंगत व्यवहार सहिंताओं	प्रसुविधाएं।
		और परीक्षण प्रक्रियाओं, जो	
		प्रचलित हैं से अवगत होगा;	
		(ख) सन्निर्माण की सामग्री की	
		फ़ैक्चर यांत्रिकी और धातु	
		विज्ञान से अवगत हों;	
		(ग) उष्मा प्रबंध / दबाव	
		निर्मोचन वाले घटकों और	
		लिफ्टिंग मशीनरी के हिस्सों	
		-	
		तकनीकों से परिचित होगा;	
		और (-) 	
		(घ) लिपिटंग मशीनरी,	
		जंजीरों, रस्स्यों ओर	
	1	लिपिटंग टैकल की सुरक्षा	

			के संबंध में त्रुटियों की पहचान करने ओर विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने में समक्ष होगा।	
5	धारा 31— दबाव संयत्र (प्रेशर प्लांट)	रसायन या इलेक्ट्रिकल या धातु विज्ञान(मेटलर्जिकल) अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि या इसके समकक्ष।	(i) (क) अभिकल्प (डिजाइन) या निर्माण या अनुरक्षण में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव या,— (ख) दबाव संयत्रों का परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण। (ii) वह.— (क) दबाव पात्र से सुसंगत व्यवस्था संहिताओं और परीक्षण प्रक्रियाओं से अवश्य परिचित हो; (ख) अग्निशमन रहित दबाव पात्रों और दबाव में परिचालित उपकरणों की सुरक्षा से संबंधित वैधानिक अपेक्षाओं से परिचित हो; (ग) दबाव पात्रों पर लागू होने वाली गैर—विनाशकारी परीक्षण तकनीकों से परिचित हो; (घ) त्रुटिओं की पहचान करने और दबाव संयत्रों की सुरक्षा के संबंध में विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने में अवश्य सक्षम होगा।	परीक्षण माप हेतु गेज, उपकरण/ यंत्र और
6	धारा 36,— खतरनाक धुएं से सावधानियां (i) धारा 41 और 112 के अधीन जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत, एस्बेस्टस का प्रबंधन और प्रक्रमण, विस्कोस प्रक्रिया द्वारा रेयॉन का विनिर्माण, फाउंड्री संचालन।	निष्णात उपाधि या रसायन इंजीनियरिंग	(i) पर्यावरण नमूनों के संग्रह और विश्लेषण और अनुश्रवण (मोनीटरिंग) उपकरणों के अंशाकन मे कम से कम 7 वर्ष का अनुभव। (ii) वह.— (क) रसायनों के खतरनाक गुणों और उनके अनुभेय सीमा मूल्यों से परिचित हो; (ख) नमूनों की वर्तमान तकनीकों और विश्लेषण पर्यावरण संदूषकों से	करने में सुरक्षा के

		***	परिचित हो; और (ग) उष्ण कार्य के आरंभ और संचालन के संबंध में सुरक्षा की बाबत विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम हो।	
7	धारा 87 के अधीन बनाई गई विभिन्न अनुसूचियों के अधीन यथाअपेक्षित वातानुकूलन(वेंटिलेशन) प्रणाली की अर्थात् पीसने या ग्लेजिंग या धातु और उनसे आनुषंगिक प्रक्रियाओं पर अनुसूचियां और जेट रेत, धातु शॉट(मार), या ग्रिट या भाप की संपीड़ित वायु के विस्फोट से प्रेरित अन्य अपघर्षक द्वारा वस्तुओं की सफाई या चिकनाई, खुरदरापन आदि करना।	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपाधि या इसके	(i) वातानुकूलन(वेंटिलेशन) प्रणाली और प्रणालियों के डिजाइन करने, बनाने, स्थापन, परीक्षण, धूल, धूए और वाष्प और उनसे आनुषंगिक अन्य सहायक उपकरणों के निष्कर्षण और संग्रहण में न्यूनतम (कम से कम) 7 वर्ष का अनुभव। (ii) वह व्यवहार संहिता और परीक्षण प्रक्रियाओं, जो वातानुकुलन(वेंटिलेशन) और धुएं हेतु कर्षण प्रणाली के संबंध में प्रचलित है से परिचित हो, और प्रणाली की प्रभावशीलता के संबंध में विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम हो।	हेतु निष्कर्षण प्रणाली की प्रभावशीलता का परीक्षण करने हेतु वातानुकूलन(वेंटिलेशन) प्रणाली, उपकरणों और गेज के परीक्षण हेतु प्रसुविधाएं और इन प्रणालियों की दक्षता और पर्याप्तता निर्धारित करने हेतु आवश्यक कोई अन्य उपकरण। उसके पास वह एक उपयुक्त अर्हित तकनीकी व्यक्ति की सहायता

आदेश द्वारा,

सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार